



घरेलू हिंसा से जूझती भारतीय महिलाएं: मानवीय अधिकारों का हनन

डॉ. सुनीता पारीक

एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र विभाग, अदिति महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सारांश

मानव अधिकार अर्थात वह अधिकार जो मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों को मिले हैं। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई, और समाज के हर एक व्यक्ति को आजादी, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार मिले। भारत में भी मानव होने के नाते सभी व्यक्तियों को यह अधिकार मिले हैं, किंतु अभी भी महिलाएं पूर्ण रूप से इन अधिकारों को नहीं भोग पा रही हैं। समाज में व्याप्त हिंसात्मक गतिविधियां महिलाओं को इन मानवीय अधिकारों से वंचित कर रही है। बाहर होने वाली छेड़छाड़ की घटनाएं, एसिड अटैक, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं इत्यादि का सामना कर रही हैं, और सोचने वाली बात ये है कि ये सब घटनाएं तब संभव हो पाती हैं जब महिला घर से बाहर निकलती है, लेकिन विडंबना ये है कि अगर महिलाएं घर के चार दीवारी के अंदर हैं तब भी वे सुरक्षित नहीं हैं। अपने ही परिचितों या परिजनों के द्वारा वह घर में ही हिंसा का शिकार हो रही है जिसे हम घरेलू हिंसा के नाम से जानते हैं। कितनी भयानक स्थिति है ये जहां एक महिला अपने ही श्रम के द्वारा घर में सभी सदस्यों की सभी जरूरतों का ध्यान रखती है, और उसी घर में वह खुद अपने ही द्वारा हिंसा का शिकार भी बनती है। चूंकि महिलाएं सदियों से दोहरे दर्जे का जीवन जीती आई हैं और समाज में पुरुषों के द्वारा ही उन्हें दूसरे दर्जे की स्थिति पर रखा गया है, इसलिए वे समाज में पुरुषों के द्वारा हिंसा का शिकार बनती हैं।

घरेलू हिंसा जो आमतौर पर सबसे छुपकर की जाती है, क्योंकि बंद कमरे में महिला पर किया गए अत्याचारों को चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक कोई नहीं देखता, और कई बार खुद महिला द्वारा भी इस दर्द को छुपाया जाता है। पर चोट से पीड़ित महिला के शरीर पर दिखने वाले निशान फिर भी देखे जा सकते हैं पर महिला के मन मस्तिष्क पर लगे घाव नहीं देखे जा सकते। किसी को कुछ भी ना कह पाने और न बता पाने की स्थिति में महिलाएं कई बार अवसाद का शिकार हो जाती हैं, और वे आत्महत्या करने को भी उत्तारू हो जाती हैं, इसीलिए सरकार के द्वारा महिलाओं को इस घरेलू हिंसा से मुक्ति दिलवाने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। हालांकि इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को घर में होने वाली हिंसा से बचाने का पुरजोर प्रयास किया गया, लेकिन इस एक्ट के द्वारा भी महिलाओं को घर में होने वाली हिंसा से बचाना तभी संभव है जब कोई औरत जो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है वह खुद या पीड़ित महिला के पक्ष में अन्य कोई और इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करें। लेकिन हकीकत में इस एक्ट के बनने के बाद भी अभी भी महिलाओं के प्रति घर में होने वाली हिंसा के मामलों में कमी नहीं आई है क्योंकि अधिकांशतः महिलाओं की चुप्पी ही उन्हें और अधिक घरेलू हिंसा को झेलने पर मजबूर करती है। सच्चाई ये है कि आज भी महिलाएं हिंसा को झेलते हुए अपना जीवन गुजार रही हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के द्वारा मानव अधिकार की महिलाओं के संदर्भ में भूमिका, घरेलू हिंसा के कारण, परिस्थितियां, सुझाव, समाधान और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में बताने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्द: मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, घरेलू हिंसा

प्रस्तावना

मानव अधिकार सम्पूर्ण विश्व में सभी व्यक्तियों को मिले वह अधिकार हैं जो उनके विकास के लिए अति आवश्यक हैं। इन अधिकारों का उदय मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया और उस घोषणा से अन्य राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला। इस घोषणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए अपना आदर भाव दिखाएगा और इन अधिकारों की विश्वव्यापी एवं प्रभावशाली मान्यता और सभी उसका पालन करे, इसे निश्चित करने का प्रयास करेगा।¹ इस घोषणा के अनुसार समाज में रह रहे व्यक्तियों के कुछ अधिकार हैं जो उन्हें मनुष्य होने के नाते मिले हैं। सभी व्यक्तियों की समान स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा हमें मिले हैं। मनुष्य होने के नाते मिले इन अधिकारों को मानना सब का कर्तव्य भी माना गया है।² इन अधिकारों की घोषणा में कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से ही समान और स्वतंत्र हैं। घोषणा में उल्लेखित मानव अधिकारों में दास प्रथा या गुलामों की तरह न रखे जाने का अधिकार, अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ अधिकार, क्रूरता के खिलाफ अधिकार, और कानून के सामने सबकी बराबरी का अधिकार है। मानवीय अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को संयुक्त राष्ट्र की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा गया। लेकिन विडंबना यह है कि आज हम जिस समाज में रहते हैं, वह समाज ऊपरी तौर पर जितना सभ्य हमें दिखाई देता है क्या वास्तव में वह उतना सभ्य है? पितृसत्तात्मक ढांचे से रचे बसे इस समाज में लड़कियां और महिलाएं क्या आज भी समानता का जीवन जी पा रही हैं? महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के आंकड़ों की उपस्थिति हमें कुछ और ही तस्वीर को दर्शाती है जिसमें पता लगता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और खासकर

घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है जो मानव समाज के विकास की दुर्दशा की कहानी हमें बयान करती है। पुरुषों के द्वारा महिला को अपने से कमजोर मानने की प्रवृत्ति उन्हें महिला के ऊपर हाथ उठाने की आजादी देती है, जो महिला को अपने ही मानवीय अधिकारों से वंचित कर रही है। और पुरुषों के अधीन कर रही है। अगर हम भारतीय समाज की स्थिति को देखें तो आज भी पितृसत्तात्मक शक्तियों तथा घृणित मानसिकता ने इतनी गहरी जड़े जमा रखी है कि महिलाओं की क्षमताओं को पुरुषों की क्षमताओं से कम ही देखा जाता है। जब हम विकास की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि जिस रूप में यह विकास हमें बाहरी रूप से दिखाई देता है, आंतरिक रूप से उसकी जड़े अभी भी काफी कमजोर हैं। आज भी समाज में महिलाएं नियमित रूप से हिंसा की शिकार हो रही हैं, जिसमें सिर्फ शारिरिक चोट जैसे बाल खींचना पत्नी को मारना पीटना, आपसी बातचीत के दौरान धक्का दे देना, पत्नी को जबरदस्ती यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना ही नहीं है बल्कि मानसिक हिंसा जैसे गाली गलौज करना, दूसरे लोगों के सामने पत्नी को हर समय बेइज्जत करना, पत्नी के ऊपर चीखना चिल्लाना आदि भावनात्मक रूप से महिला को कमजोर कर देते हैं। एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हर तीसरे मिनट पर एक महिला अपने ही घर में मार खाती है, तथा सार्वजनिक जगह और सड़कों पर हर दूसरे मिनट में कोई ना कोई लड़की या महिला को छेड़खानी का निशाना बनाया जाता है। जो उस महिला के मन में असुरक्षा, डर और चिन्ता का माहौल पैदा करते हैं।

कोरोना काल और महिला घरेलू हिंसा

कोरोना के समय दुनिया भर में घरेलू हिंसा में लगभग 20 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है।⁴ इस प्रकार कोरोना समय के दौरान लड़कियों तथा महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा, में बढ़ोतरी हुई। कोरोना के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घोषित लॉक डाउन के दौरान इन हिंसा में मामलों में और भी बढ़ोतरी हुई है। आयोग के अनुसार "जहां महिलाओं के खिलाफ 2019 में हिंसा के 19730 मामले रजिस्टर्ड किए गए वहीं 2020 में यह आंकड़ा 23722 तक पहुंच गया" कोरोना के समय लॉक डाउन के कारण घर के अंदर होने वाली हिंसा के मामले बढ़े क्योंकि अब हिंसा से पीड़ित महिलाएं या लड़कियां पीड़ित करने वालों के साथ घर के अंदर फंस गईं। आर्थिक रूप से असुरक्षा का माहौल, तनाव में बढ़ोतरी, घबराहट का माहौल, नौकरी या व्यापार के बंद होने से बढ़ती वित्तीय चिंता के साथ परिवार से भावनात्मक रूप से सही तरीके में सहयोग न मिलना आदि ने, महिलाओं पर एक ही समय में कई प्रकार का दबाव एक साथ ही बढ़ा दिया।⁶

ये आंकड़े जो हमारे सामने आते हैं। वे महिला हिंसा की एक घिनौनी तस्वीर को हमें दिखाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के अनुसार "2960 घरेलू हिंसा के मामले साल 2019 में रजिस्टर्ड किए गए थे। वहीं अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच इन रजिस्टर्ड मामलों की संख्या 5865 थी।"⁷

आर्थिक रूप से सक्षम औरतें भी घरेलू हिंसा की शिकार

घरेलू हिंसा की शिकार सिर्फ वही महिलाएं या युवा लड़कियां नहीं हैं जो कि खुद आर्थिक रूप से कमजोर हैं या आत्मनिर्भर नहीं हैं बल्कि जो महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं और आर्थिक रूप से समाज की एक मजबूत कड़ी के रूप में हैं, वह भी घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, क्यों कि अगर औरत आर्थिक रूप से मजबूत है तो महिला को बाहर जाकर काम करने से रोकना या उसमें रुकावट डालना, उसको मिलने वाली आय से खुद उसे ही वंचित करना, घर के बाहर जबरन निकाल देना इत्यादि झेलना पड़ता है। जो कहीं ना कहीं उसकी कार्य क्षमता, मानसिक एवम शारिरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। आज के करीब दस वर्ष पहले 2012 में पत्रकार नीता भल्ला ने अपने ऊपर हुई मानसिक एवं शारीरिक हिंसा की कहानी जब औरों को सुनाई तो भारत की पुरुष प्रधान समाज की घिनौनी सच्चाई फिर से देखने को मिली।⁸ सभी यह सोचने पर मजबूर हो गए कि जब एक पढ़ी-लिखी महिला के साथ ऐसा हो सकता है तो घर के चार दीवारी के भीतर रहने वाली महिला क्या कुछ सहती होगी। इस घटना के सबके सामने आने पर एक बार फिर पुरुषवादी समाज की घिनौनी सच्चाई पता चली जो आज भी उतनी ही भयानक है। आज भी महिलाएं अपनी बात को कई बार इसलिए भी नहीं कह पाती कि उन्हें लगता है कि अगर वह बाहर जाकर किसी के साथ कुछ भी साझा करेंगी तो उन पर इसी समाज के द्वारा अपना घर तोड़ने का आरोप लग सकता है, लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं वह भी बाहर आकर अपने बात को नहीं बता पाती और वह इस वजह से खामोश रहती हैं कि अगर वो इस तरह की बात करेंगी तो उनके कार्यस्थल पर उन्हें कमजोर महिला समझा जाएगा।⁹ ऐसी हालात में महिला किसी को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं होती।

घरेलू हिंसा के कारण

घरेलू हिंसा जिसमें एक महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से अपमान झेलना पड़ता है। और कई बार तो महिलाओं द्वारा अच्छा खाना ना पका पाना, पति के साथ बहस, दहेज को लेकर महिला को ताने मारते हुए विवाद होना, महिला का अपने पुरुष साथी के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, इत्यादि घरेलू हिंसा की वजह बनते हैं और घर में जुल्म सहती महिला का ऐसे मामलों पर चुप रहना और कई बार कानून की सही रूप से जानकारी न होना भी उन्हें घरेलू हिंसा झेलने को मजबूर करता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हर एक 4.4 मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा की चपेट में आती हैं।¹⁰

घरेलू हिंसा के प्रभाव

यदि किसी ने कभी भी अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है, तो उसके लिए इस डर से बाहर आना अत्यंत ही कठिन काम होता है। घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद पीड़ित के मन मस्तिष्क पर तथा उसकी सोच में गहरे रूप से नकारात्मकता हावी हो जाती है, और जो काफी मुश्किलों के बाद उसे जीवन की मुख्यधारा तक वापिस खींच पाती है।

इस प्रकार घरेलू हिंसा का सबसे बुरा प्रभाव यह है कि इसमें पीड़ित महिला मानसिक और शारीरिक तथा भावनात्मक रूप से मिले आघात से बड़ी मुश्किल से वापस आ पाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घरेलू हिंसा के शिकार हुए महिलाएँ या तो मानसिक रूप से अपना दिमागी संतुलन खो बैठती हैं, या फिर अवसाद के शिकार बन जाती हैं, और ऐसे हालात में कई बार वो आत्महत्या तक कर लेने को मजबूर हो जाती हैं। 2020 में भारत में 22,372 महिलाओं ने आत्महत्या की यानी 1 दिन में 61 महिलाओं ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया या इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हर एक 25 मिनट में एक महिला के द्वारा खुद अपने जीवन को खत्म किया गया।¹¹ यह हालात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे एक महिला रोज रोज मानसिक, शारीरिक पीड़ा को झेलते हुए आत्महत्या जैसा खतरनाक कृत्य करने के लिए मजबूर हो जाती है। 2020 में भारत में कुल 153,052 आत्महत्या के मामले रजिस्टर्ड किए गए थे जिनमें से 14.6 परसेंट मामले महिलाओं से जुड़े थे।¹² कहीं ना कहीं शारीरिक कठिन श्रम करते हुए रोज रोज का तनाव उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर कर देता है।

घरेलू हिंसा के समाधान

एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर तीसरे मिनट में एक औरत अपने ही घर में शारीरिक हिंसा का शिकार होती है।¹³ जो कि आज आजादी प्राप्ति के 75 वर्ष उपरांत भी हमें महिला समानता जैसे पहलू को सिर्फ कागजी रूप में देखने या सोचने पर मजबूर करती है। इसका सबसे पहला उपाय घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के मन में मजबूती से यह आत्मविश्वास पैदा करना है कि वह पहले वह खुद से इसको रोके और इसका डट कर जवाब दें। जिससे कि वह सामने वाले व्यक्ति को यह बता सके कि वह और अपमान और मार सहन नहीं कर सकती। सरकार के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 को संसद में पारित कराया गया, जिसके तहत यदि कोई महिला घरेलू हिंसा से जूझ रही है तो वह इस अधिनियम का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को सुधार सकती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो साल 2016 में ये 437 रहे थे, उसके बाद 2017 में 616 फिर 2018 में 579 और साल 2019 में 553 और 2020 में तो 446 थे।¹⁴ इस कानून के बनने के बाद कई वर्षों से कानूनी रूप से जागरूक होने के कारण महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में कमी आई है, हालांकि कोरोना काल के दौरान सभी लोगों के बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध लगने के कारण घर में हर समय बंद होने की वजह से, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के आंकड़ों में वृद्धि हुई है।¹⁵ जो एक चिंतनीय विषय है।

हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए लागू कानून महिलाओं के खिलाफ दोषियों को सजा दिलाने के लिए बने हैं। कानून की जानकारी के साथ साथ अब महिलाओं ने अपनी बात को बोलना शुरू किया है तथा अत्याचार करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने शुरू की है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अपने लिए सुरक्षा, आर्थिक रूप से मदद, आवासीय सहायता और क्षतिपूर्ति की मांग कर सकती है, मुफ्त कानूनी सहायता भी ले सकती है और 498 ए आईपीसी के अंतर्गत शिकायत दर्ज हो सकती है। ये कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, लेकिन यह तभी सही रूप से प्रभावशाली साबित हो सकते हैं जब महिलाएं खुद से अपने आवाज के साथ आगे आएँ और दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज कराने में बिल्कुल भी न हिचके।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून को भारत के संसद द्वारा 13 सितंबर 2005 में माना गया और 26 अक्टूबर 2006 को इसे लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत यह जाना जाता है कि पीड़ित कौन है? यदि वह एक महिला है और उसके रिश्तेदारों में या परिचित में कोई व्यक्ति उसके प्रति बुरे तरीके से मानसिक या शारीरिक दुर्व्यवहार करता है, तो वह इस अधिनियम के तहत पीड़ित माना जाएगा। इस अधिनियम के तहत पीड़ित औरत ही शिकायत दर्ज करवाएँ ऐसा जरूरी नहीं है हिंसा की शिकार महिला के जगह कोई भी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे व पीड़ित से संबंधित हो या ना हो, पीड़ित महिला को बचाने के लिए घरेलू हिंसा की जानकारी इस अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारी को दी जा सकती है। सभी माताएँ, बेटियाँ, बहनें पत्नियाँ, लिव इन पार्टनर घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए इस एक्ट के दायरे में आते हैं। इस एक्ट के द्वारा व्यवस्था की गई है कि सभी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा दी जाए।¹⁶ घरेलू हिंसा अधिनियम जो कि आईपीसी कानून की धारा 498 ए से अलग है। चूंकि यह पीड़ित के संरक्षण को तय करने का कानून है, दोषी को सजा देना ही सिर्फ इसका उद्देश्य नहीं है परंतु अगर वह दोषी इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए आदेशों को मानने से इंकार करता है तो मामले को आगे बढ़ाते हुए दोषी पक्ष को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और अगर पीड़ित महिला भारतीय दंड संहिता के तहत आने वाले आपराधिक मुकदमे की याचिका दायर कर देती है और अगर दोषी के खिलाफ अगर दोष साबित हो जाता है तो दोषी को अधिकतम 3 साल की जेल भी हो सकती है।¹⁷

निष्कर्ष

एक महिला को भी मानवीय अधिकारों की प्राप्ति होना आवश्यक है लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं वह एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित करते हैं। अगर हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वालों को देखें तो यह तो साफ है कि अपराधी जन्म से ही उस तरह का दुर्व्यवहार करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार किए जाते हैं। उन्हें महिला को अपने से नीचा समझना ही सिखाया जाता है, इसलिए उन अपराधियों की मानसिकता में सुधार करने के लिए तथा पीड़िता के मानसिक और शारीरिक तकलीफ से अवगत करवाने के लिए यह भी आवश्यक होगा कि पुरुषों को महिलाओं से अलग रखने के बजाय पुरुषों को इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनाया जाए। सरकार के द्वारा भी महिलाओं को सुरक्षा के और अधिक प्रयास किए जाएँ, जिसके तहत सरकार ने 'वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं प्रारंभ की

है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सहायता करने के लिए उन्हें चिकित्सीय, और कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना है।¹⁸ हिंसा से जूझ रही महिला सभी प्रकार की सहायता की हकदार होती है और उसे सरकार के द्वारा जल्द से जल्द हर प्रकार से मानसिक और भावनात्मक सहयोग देना आवश्यक होता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं की शुरुआत की है। यह योजना मूल रूप से सखी के नाम से भी जानी जाती है।¹⁹ हिंसा प्रभावित महिलाओं को संभालने के लिए यदि हम सही मायनों में एक महिला को मानव होने के नाते मानवीय अधिकारों की अनुभूति करवाना चाहते हैं, और उन्हें एक हिंसा मुक्त समाज देना चाहते हैं तो वक्त आ चुका है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और पीड़ित महिलाओं के मन में एक नया आत्मविश्वास जगाया जाना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, जिससे वह सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और अपने संविधानिक अधिकारों को जान सकें।

संदर्भ सूची

1. UNHR, 1948
2. ibid
3. न्यूज 18, सुनील कुमार गुप्ता, महिला हिंसा के लिए मैं तुम हम सब जिम्मेदार, अपडेटेड 25 नवंबर, 2020
4. ibid
5. NCW Data 2021 <https://www-business&standard-com@article@current&affairs@ncw&received&23&722&complaints&in&2020&its&highest&in&past&si&years&121010300364&1-html>
6. अमर उजाला, क्रूरता महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के 6 साल में सबसे अधिक केस, अपडेटेड, 26 मार्च 2021
7. op-cit NCW Data 2021
8. बीबीसी न्यूज हिंदी घरेलू हिंसा की आपबीती अपडेटेड 20 मार्च 2012
9. ibid
10. NCRB Crime in India रिपोर्ट 2018
11. अनुराग मिश्र, 25 मिनट में एक खुद खुशी हर साल हजारों भारतीय गृह लक्ष्मी क्यों दे रही है अपनी जान, नवभारत टाइम्स. कॉम अपडेटेड 27 दिसंबर 2021
12. ibid
13. News18, op-cit, सुनील कुमार गुप्ता, महिला हिंसा के लिए मैं तुम हम सब जिम्मेदार ।
14. NCRB Crime in India रिपोर्ट 2020
15. अमर उजाला, op-cit, अपडेटेड, 26 मार्च 2021
16. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005
17. ibid
18. मनोज थयात, योजना महिलाओं के लिए सरकार की योजना 'वन स्टॉप सेंटर स्कीम' जाने कैसे उठाएं लाभ, 19 जून 2021.
19. ibid